संख्या–सम्ब. 883/सत्तर–6–2014–2(855)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2014

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2812/2014, दिनांक 30–05–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01–07–2014 से निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों यथा एक प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है, पूर्व में संचालित एवं याचित पाठ्यक्रम के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रमाणिक अभिलेख संलग्न नहीं है, प्रबन्ध समिति कालातीत है, एफ0डी0आर0 कालातीत है, सत्र 2013–14 का परीक्षाफल घोषित नहीं है, से सम्बन्धित कमियों की पूर्ति कर ली जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब. 883(1)/सत्तर–6–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4 प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव।
5 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 915/सत्तर–6–2011–2(334)/2007 दिनांक 11अक्टूबर, 2011 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2534/2008, दिनांक13 .10.2008, पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./285/2009, दिनांक 09.02.2009, पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2247/2009, दिनांक 18.7.2009 एवं पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2473/2011, दिनांक 14.9.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा परास्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत इतिहास एवं संस्कृत विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2011 से क्रमशः आगामी तीन वर्षों एवं दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/4147/2011 दिनांक 30/11/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन समयावधि के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परास्नातक स्तर पर कला संकाय के संस्कृत एवं इतिहास विषयों में क्रमशः 60–60 छात्र प्रति सेक्शन कुल 120 सीट्स सीट्स तथा वाणिज्य संकय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में दो सेक्शन (प्रति सेक्शन 60छात्र) कुल 120 सीट्स की जाती है। **विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति समय–सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।**

   उक्त के साथ महाविद्यालय का वेबसाइट, ई–मेल, फोन नं0 आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्राचार्य
श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय
सफीपुर, उन्नाव